# न्यायालय सहायक कलेक्टर, तारानगर जिला चूरू

## बइजलास श्री राम निवास बुगालिया RAS

वाद पत्र सं. 49/2017

निर्णय दिनांक 04.06.2019

रामसिंह पुत्र भींवाराम जाति जाट साकिन ढिंग्गी तहसील तारानगर जिला चूरू

वादी

**बनाम**

1. मनफूलसिंह पुत्र भींवाराम
2. दरियासिंह पुत्र भींवाराम
3. हरिसिंह पुत्र भींवाराम
4. सुभाषचन्द्र पुत्र हरिसिंह

(1 से 4) जाति जाट साकिन ढिंग्गी तहसील तारानगर जिला चूरू

5. राजस्थान तहसीलदार साहब तारानगर जिला चूरू
6. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रतनपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू
7. राधेश्याम पुत्र सुरजमल जाति अतरी (ब्राह्मण)निवासी राजगढ़ जिला चूरू

प्रतिवादीगण

**दावा बाबत खाता विभाजन हस्ब दफा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 5 राज. उप. अधिनियम**

उपस्थित:- 1. श्री निर्मल कुमार प्रजापत, अभिभाषक वास्ते वादी

2. श्री अनिल कुमार स्वामी, राजपुरा, अभिभाषक वास्ते प्रतिवादी

**-: निर्णय:-**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सक्षेंप विवरण निम्न प्रकार से है:-

आराजी ख. नं. 11 तादादी 4-05 बीघा, ख. नं. 23 तादादी 8 बीघा, ख. नं. 93 तादादी 16-18 बीघा, ख. नं. 133 तादादी 2-01 बीघा, ख. नं. 273 तादादी 43-15 बीघा कुल तादादी 74-19 बीघा, ख. नं. 80 तादादी 15 -08 बीघा वाके रोही ढ़िंगी तहसील तारानगर में स्थित है यही विवादित कृषिभूमि है।

विवादित कृषिभूमि राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक सयुंक्त खातेदारी में चली आ रही है लेकिन खातेदारान ने विवादित कृषिभूमियों का आपस में सहमति से बंटवारा कर रखा है जिसके मुताबिक वादी के हिस्सा में कृषिभूमि ख.नं. 93 तादादी 16-18 बीघा, ख.नं. 133 तादादी 2-01 बीघा व ख.नं. 273 तादादी 43-15 बीघा में से 1-03 बीघा कुल तादादी 20-02 बीघा आपसी भाई बंटवारा में वादी के हक व हिस्सा में आई हुई है इसी अनुसार वादी मौके पर काबिज काश्तकार है राजस्व रिकॉर्ड में सयुंक्त खातेदारी होने से फसल बीजाई कटाई के कैवटनें आदि के समय खातेदारान में मनमुटाव रहने लग

(सील: सहायक कलक्टर, तारानगर, जिला चूरू)

Ram Niwas

सहायक कलक्टर
तारानगर (चूरू)

गया जिस कारण से वादी अपने हिस्से में फसल सुचारू रूप से नहीं ले पाता जिस कारण वादी अपने हिस्से का उपरोक्तानुसार विकल्पत: किस्म के अनुसार विभाजन करवाने का अधिकारी है जिसके लिए यह खाता विभाजन का वाद पेश किया जा रहा है व इसी प्रकार अनुतोष चाहा गया है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वे आपसी सहमति से किये गये पारीवारिक समझौते तथा उक्त समझौते के तहत प्राप्त कब्जे के वादी के हिस्से पांति की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में खाता विभाजन करवा देवें तो वे पहले तो सहमत हो गये लेकिन दिनांक 24.03.2017 को बमुकाम ढ़िंगी में ऐसा करने से साफ इंकार हो गये इसलिए यही तारीख को वाद कारण हासिल है।

वाद प्रस्तुत होने पर वाद जांच दर्ज कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण दिनांक 27.02.2019 को स्वयं उपस्थित आकर वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। जिस पर मुताबिक राजीनामा प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.05.2019 की पालना में तहसीलदार तारानगर द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया जिस पर कोई एतराज पेश नहीं हुआ। फलस्वरूप वादी का वाद बरूवै राजीनामा व विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि:-

1. कृषिभूमि ख. नं. 93 तादादी 16-18 बीघा (4.2740 हैक्टयर), ख. नं. 133 तादादी 2-01 बीघा (0.5184 हैक्टयर), ख. नं. 273 मी. तादादी 01-01 बीघा (0.2655 हैक्टयर) कुल तादादी 20-00 बीघा (5.0580 हैक्टयर) रोही मौजा ढ़िंगी तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शे में बरंग सफेद दिखाया गया है। वादी रामसिंह पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी ढ़िंगी तहसील तारानगर जिला चूरू राहिन बीआरकेजीबी रतनपुरा के हक हिस्सा में रहेगी।

2. कृषिभूमि ख. नं. 273 मी. तादादी 20-00 बीघा (5.0580 हैक्टयर) कुल तादादी 20-00 बीघा (5.0580 हैक्टयर) रोही मौजा ढ़िंगी तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शे में बरंग केशरिया दिखाया गया है। प्रतिवादी दरियासिंह पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी ढ़िंगी तहसील तारानगर जिला चूरू राहिन बीआरकेजीबी रतनपुरा के हक हिस्सा में रहेगी।

3. कृषिभूमि ख. नं. 11 तादादी 04-05 बीघा (1.0748 हैक्टयर), ख. नं. 23मी. तादादी 04-15 बीघा (1.2013 हैक्टयर) कुल तादादी 09-00 बीघा (2.2761 हैक्टयर) रोही मौजा ढ़िंगी तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शे में बरंग हरा दिखाया गया है।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
तारानगर
जिला चूरू

Ram Niwas
सहायक कलक्टर
तारानगर (चूरू)

प्रतिवादी मनफुलसिंह पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी ढ़िंगी तहसील तारानगर जिला चूरू के हक हिस्सा में रहेगी।

4. कृषिभूमि ख. नं. 23मी. तादादी 03-05 बीघा (0.8219 हैक्टयर), ख. नं. 273मी. तादादी 07-15 बीघा (1.9600 हैक्टयर) कुल तादादी 11-00 बीघा (2.7819 हैक्टयर) रोही मौजा ढ़िंगी तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शे में बरंग नीला दिखाया गया है। प्रतिवादी राधेश्याम पुत्र सुरजमल जाति ब्राह्मण निवासी राजगढ़ जिला चूरू के हक हिस्सा में रहेगी।

5. कृषिभूमि ख. नं. 80मी. तादादी 05-08 बीघा (1.3656 हैक्टयर), ख. नं. 273मी. तादादी 14-19 बीघा (3.7809 हैक्टयर) कुल तादादी 20-07 बीघा (5.1465 हैक्टयर) रोही मौजा ढ़िंगी तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शे में बरंग पीला दिखाया गया है। प्रतिवादी हरिसिंह पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी ढ़िंगी तहसील तारानगर जिला चूरू के हक हिस्सा में रहेगी।

6. कृषिभूमि ख. नं. 80मी. तादादी 10-00 बीघा (2.5291 हैक्टयर)) रोही मौजा ढ़िंगी तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शे में बरंग काला दिखाया गया है। प्रतिवादी सुभाष पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी ढ़िंगी तहसील तारानगर जिला चूरू राहिन बीआरकेजीबी रतनपुरा के हक हिस्सा में रहेगी। विभाजन बाबत नियमानुसार मुद्रांक शुल्क अदा करें

(मुहर: सहायक कलक्टर, तारानगर, जिला चूरू)

Ram Nms

सहायक अधिकारी
सहायक कलक्टर
तारानगर (चूरू)

आज दिनांक 4.6.19 को अदालत का निर्णय सरे इजलास सुनाया गया

Ram Nms

सहायक कलक्टर
तारानगर (चूरू)